



प्रेस नोट


पिछले कुछ महीनों में सूचना प्राप्त हुई थी कि श्याम सुन्दर पुत्र श्री मदन गोपाल गॉ० व० डॉ० फॉचा, तह० रामपुर जिला शिमला, बाहरी जिलों से भांग लाकर किन्नौर में बेचने का धंधा करता है जिससे की कई भोले भाले युवा नशे के गिरफ्त में फंस रहे थे। विभाग द्वारा इस व्यक्ति की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी यह शांतिर अपराधी पहले फोन पर सौदा तय करता है व अपने बैंक खाते में पैसे जमा होने के बाद खुद आकर चरस पहुंचाता है। इस आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया वा फोन पर सौदा तय किया गया, सौदा होने के बाद आज दिनांक 28.1.17 को जब यह व्यक्ति चरस लेकर किन्नौर की तरफ आ रहा तो पुलिस दारा मुकाम चौरा में नाका लगाकर उपरोक्त व्यक्ति को 175 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा गया। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाना भावानगर में अभियोग संख्या 8/17 स्वापक औषधी एंव मन प्रभावी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है।

समस्त स्थानिय संवाददाता


(रोहित मालपानी) भा०पु०से०
पुलिस अधीक्षक
जिला किन्नौर स्थित रिकॉग पिओ।

प्रतिलिपी:

i/c INRB को किन्नौर पुलिस वेब साईट पर अपलोड करने हेतू प्रेषित है।


(रोहित मालपानी) भा०पु०से०
पुलिस अधीक्षक
जिला किन्नौर स्थित रिकॉग पिओ।